

सं.ई-11013/11/2021-हिंदी

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(हिंदी प्रभाग)

3092605/2023

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 12.04.2023

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स),

नई दिल्ली-110029

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा।

महोदय,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

1. राजभाषा नियम अधिनियम धारा 3(3) - संस्थान द्वारा धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है। यह संतोषजनक स्थिति है कि इसे भविष्य में भी बनाए रखें।
2. राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5 - (हिंदी पत्रों के उत्तर) संस्थान में हिंदी में प्राप्त 17,355 पत्रों में से 16,985 के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं तथा शेष 370 पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे। लेकिन जिन पत्रों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे यदि उनकी प्राप्ति सूचना (पावती) हिंदी में भेज दी जाए तो इन सभी पत्रों में हिंदी उत्तरों में शामिल किया जा सकता है। भविष्य में ऐसा करें।
3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर - अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने संबंधी सूचना के अनुसार आपके कार्यालय में 'क' क्षेत्र से अंग्रेजी में कुल 37,373 पत्र प्राप्त हुए। जिनमें 17,129 अर्थात् 77.08% पत्रों के उत्तर ही हिंदी में दिए गए तथा 19,394 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में भेजे गए तथा 850 पत्रों के उत्तर अपेक्षित न थे।

इसी प्रकार 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त कुल 937 पत्र प्राप्त हुए जिनमें 424 के उत्तर ही

हिंदी में भेजे जा सके तथा 509 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में भेजे गए और शेष 04 के उत्तर अपेक्षित

नहीं थे।

हिंदी अनुभाग/Hindi Section
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली/AIIMS, ND
डायरी सं./D.No. : 13037
दिनांक/Date : 20-04-2023

हिंदी अनुभाग

प्रमुखी Section

14/4/2023

दि. 14/4/23

पुनर्मात्र
19.4.2023

पुनर्मात्र

यहां भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। अतः अगली बार से इन्हें शत प्रतिशत हिंदी अथवा द्विभाषी ही भेजा जाए। शेष जिन पत्रों का उत्तर अपेक्षित नहीं हो उनकी प्राप्ति सूचना (पावती) हिंदी में भिजवाएं ताकि उन सभी उत्तरों में हिंदी पत्राचार में शामिल किया जा सके।

4. इसी प्रकार 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को आपके संस्थान के द्वारा भेजे गए पत्रों में हिंदी की प्रतिशतता क्रमशः 65.13, 42.34 तथा 36.30% है। जबकि राजभाषा नियमों व प्रवधानों तथा वार्षिक कार्यक्रम में यथा निहित लक्ष्यों के अनुसार यह प्रतिशत क्रमशः 100, 100 तथा 65% है।
5. हिंदी टिप्पणियों का भी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार बढ़ाने के प्रयास करें।

इसके अलावा, राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कार्य पद यदि रिक्त हो तो अविलंब भरवा लें। हिंदी पदों को भरे जाने के संबंध में मंत्रालय द्वारा 20/4/2022 को जारी पत्र संख्या-11015/01/2022 -हिंदी के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। रिक्त पदों की नियमित व्यवस्था होने तक इन्हें संविदा आधार पर भरा जा सकता है।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा पिछले दिनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके कई अधीनस्थ/ सम्बद्ध तथा आयुर्विज्ञान संस्थान आदि का निरीक्षण किया गया है। अतः राजभाषा कार्यान्वयन में जागरूकता तथा गंभीरता बनाए रखें। संस्थान की वेबसाइट शत प्रतिशत द्विभाषी हों राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठकों में हिंदी प्रगामी प्रगति तथा जांच बिंदुओं की भी नियमित समीक्षा करते रहें।

कृपया की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(परमानन्द आर्य)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

संयुक्त सचिव (आरएम एवं राजभाषा प्रभारी) महोदय के निजी सचिव।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: 21.04.2023

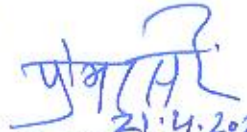
फा.सं.1-2/2022-हिं.अ.

पृष्ठांकन

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संस्थान की अक्टूबर से दिसम्बर, 2022 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी।

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 12.04.2023 के पत्र सं. ई-11013/11/2021-हिंदी के द्वारा संस्थान की अक्टूबर से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट संस्थान को प्रेषित की गई है जिसे सभी सम्बद्ध तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभागों/केन्द्रों के अवलोकन तथा अपेक्षित अनुपालन हेतु पृष्ठांकित किया जाता है।

कृपया अपेक्षानुसार उचित अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


(प्रेम सिंह तोमर)
21.4.2023

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

वितरण:

- 1 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)
- 2 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ
- 3 प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ
- 4 सहायक प्रशासन अधिकारी, सम्पदा अनुभाग
- 5 सहायक प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ
- 6 प्रशासन अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ
- 7 प्रशासन अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ
- 8 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ
- 9 सहायक प्रशासन अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ
- 10 प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ
- 11 लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
- 12 लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट अनुभाग
- 13 लेखा अधिकारी, ऑडिट अनुभाग
- 14 लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग
- 15 लेखा अधिकारी, एम.एस.यू.

जारी--2/-

- 16 छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग
- 17 मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग
- 18 अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग
- 19 मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय
- 20 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग
- 22 प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा
- 23 कुल-सचिव, शैक्षिक अनुभाग
- 24 सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग
- 25 भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)
- 26 प्रशासन अधिकारी, सामान्य अनुभाग
- 27 प्रशासन अधिकारी, अस्पताल
- 28 प्रशासन अधिकारी, डॉ.रा.प्र. केन्द्र
- 29 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र
- 30 सहायक प्रशासन अधिकारी, डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कै.अ.
- 31 प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र
- 32 सहायक प्रशासन अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र
- 33 प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद
- 34 प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर

प्रतिलिपि:

- निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (रा.भा.) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार महोदय के वैयक्तिक सहायक।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।